	55. (1) द्वीप परिषद गठित करने वाले आम ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य द्वीप परिषद में चुनाव में मतदान के लिए इस विनियम अथवा तत्काल प्रभावित अन्य विधि के अन्तर्गत या तो योग्य या अयोग्य होगा। (2) द्वीप परिषद गठित करने वाले साधारण ग्राम निकाय के प्रत्येक सदस्य द्वीप परिषद के लिए चुने जाने हेतु इस विनियम अथवा तत्काल प्रभावित अन्य विधि के अन्तर्गत योग्य या अयोग्य होगा ।	मतदान तथा चुने जाने के लिए योग्य व्यक्ति
	56. कोई भी व्यक्ति द्वीप परिषद का सदस्य नहीं होगा अथवा सदस्य के रूप में बना नहीं रहेगा यदि वहः— (क) किसी कर, शुल्क अथवा अन्य राशि के भुगतान किए जाने की तिथि तक या इससे पहले तीन माह के भीतर ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद को ऐसे करों, शुल्क अथवा देय राशि का भुगतान किया हो; (ख) आम ग्राम सभा तथा ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद अथवा जिला परिषद का वेतनभोगी अथवा लाभ के पद पर हो; ग) द्वीप परिषद के साथ अथवा अन्तर्गत अथवा की ओर से किसी अनुबन्ध अथवा रोज़गार में द्वीप परिषद द्वारा अथवा के लिए किए जा रहे किसी कार्यों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी अथवा धन लाभ रखता हो; (घ) किसी सरकारी अथवा किसी नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान अथवा जनजाति परिषद का कर्मचारी हो; (ङ.) भ्रष्टाचार के लिए सरकारी अथवा नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान अथवा जनजाति परिषद की सेवा से निष्कासित हो; (च) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 109 अथवा 110 के अन्तर्गत बेहतर आचरण के लिए सुरक्षा देने हेतु आदेश दिया हो ; (छ) हिंसा अथवा नैतिक चरित्रहीनता में शामिल होते हुए किसी अपराध के लिए अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो तथा 3 माह से अधिक के लिए कैद की सज़ा दी गई हो और ऐसे कैद पर रहने के बाद उसकी रिहाई से पाँच वर्ष तक की अवधि समाप्त नहीं हुई हो; (ज) 21 वर्ष की आयु पूरा नहीं किया हो;	